न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2024 छःलेन

उनवान

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी रामपाल बदल्वा निवासी भदादा बाग के सामने तहसील व जिला भीलवाड़ा।	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा। 2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग संख्या–79 कार्यालय–6–ए–1, आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
––प्रार्थीगण	––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) भीलवाड़ा अवार्ड क्रमांक छःलेन/32/2015 दिनांक 05.11.2015 एवं पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019

उपस्थित :– 1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता : प्रार्थी संख्या 1 ओर से।
2. श्री विनोद शर्मा अधिवक्ता : विपक्षी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :28.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) भीलवाड़ा के अवार्ड क्रमांक छःलेन/32/2015 दिनांक 05.11.2015 एवं पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम लाम्बिया कला तहसील बनेड़ा मे स्थित आराजी सं. 806, 3257/806 एवं 3258/806 से रकबा क्रमशः 0.3670 है0, 0.2910 है0, एवं 0.3670 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के अधीन एक अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 को जारी की किया जाकर अधिनियम की धारा 3–डी–1 के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2012 को प्रकाशन करवाया गया, अधिसूचना की प्रार्थी को व्यक्तिगततौर कभी कोई सूचना तामील नहीं करवाई गई तथा अवार्ड जारी किये जाने तक भी प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई एवं प्रार्थी को सुना नहीं गया। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं अधिनियम की धारा 3 जी (1 व 2) के तहत आपत्ति आमन्त्रित किये बिना ही अवार्ड संख्या प्रकरण सं. 32/2015 दिनांक 05.11.2015 को अवार्ड जारी कर अवाप्त की गई भूमि आराजी सं. 806, 3257/806 एवं 3258/806 से रकबा क्रमशः 0.3670 हैक्टयर, 0.2910 हैक्टयर, एवं 0.3670

जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर) शाहपुरा

हैक्टयर कुल रकबा 1.0250 हैक्टयर की प्रतिकर राशि 56,74,913/– रूपये, 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 5,67,491/– रूपये कुल राशि 62,42,404/– रूपये का अवार्ड पारित किया गया। उक्त अवार्ड प्रतिकर का निर्धारण अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act) के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं होने के कारण आपत्ति अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति भीलवाड़ा के समक्ष की गई। दिनांक 21.05.2019 को पूरक अवार्ड जारी कर पूर्व में जारी अवार्ड राशि के बजाय 2,18,24,934/– का अवार्ड जारी किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा धारा 26 से 30 एवं धारा 80 (RFCTLARR Act) के प्रावधानों की सही तौर पालना नहीं की गई। पूरक अवार्ड में धारा 30(3) के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त राशि की गणना जो कि अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 18.12.2012 से भूमि का वास्तविक तौर पर कब्जा लिये जाने अथवा अवार्ड पारित किये जाने की दिनांक 21.05.2019 में से जो पहले हो के अनुसार वास्तविक तौर पर कब्जा लिये जाने की दिनांक 18.05.2017 जो कि पूरक अवार्ड जारी किये जाने की दिनांक 21.05.2019 से पहले की दिनांक है, तक का 12 प्रतिशत वार्षिक से जो कि 1612 दिन का होता है, उस अनुसार गणना नहीं कर अधिसूचना दिनांक 18.12.2012 से प्रारम्भिक अवार्ड जारी किये जाने की दिनांक 05.11.2015 तक की अवधी 1052 दिन की ही कि गई है। यह भी मूल अवार्ड की राशि पर ही की गई जबकि पूरक अवार्ड जिसमें प्रतिकर राशि मय सोलेशियम राशि जो कि 1,98,62,192/– है , उस पर गणना करने पर पूरक अवार्ड की कॉलम संख्या 12 मे यह राशि 1,05,26,418/– होती है। वह अवार्ड मे नहीं जोडी गई है। अवार्ड की कलम संख्या 10 व 11 की राशि के योग मे उक्त अवार्ड की कॉलम संख्या 12 में देय राशि 1,05,26,418/– रूपये जोडे जाने पर वह राशि 3,03,88,610/– रूपये होती है जो पूरक अवार्ड में नहीं दिलाई जाकर गम्भीर त्रुटि की है। यह पूरक अवार्ड मूल अवार्ड की दिनांक से प्रभावी होना चाहिये था।

2. प्रार्थी ने आगे अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अवार्ड में ब्याज के रूप में कोई राशि धारा 80 (RFCTLARR Act) के अनुरूप दिलाये जाने बाबत पारित नहीं किये जाने से उक्त ब्याज की राशि का भुगतान भी नहीं हो पाया। इस अनुसार भी अवार्ड संशोधन योग्य है। इस प्रकार पूरक अवार्ड राशि 1.75 के गुणक से मय 100 प्रतिशत सोलेशियम 1,98,62,192/– व धारा 30(3) के अनुसार देय अतिरिक्त 12 प्रतिशत राशि जो अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 18.12.2012 से वास्तविक तौर कब्जा लिये जाने की दिनांक 18.05.2017 तक 1612 दिन 1,05,26,418/– कुल 3,03,88,610/– रूपये का पारित होना चाहिये था। उक्त राशि में से 62,42,404/– का भुगतान दिनांक 07.06.2017 को किया गया तथा 1,55,82,530/– का भुगतान दिनांक 26.06.2020 को किया गया। सम्पूर्ण पारित योग्य अवार्ड राशि 3,03,88,610/– पर वास्तविकतौर कब्जा लिये जाने की दिनांक 18.05.2017 से एक वर्ष की अवधी का 9 प्रतिशत व शेष समयावधी का 15 प्रतिशत वार्षिक से देय ब्याज होना चाहिये। उक्त ब्याज राशि की विवरण है– 1. कुल राशि 3,03,88,610/– में से कब्जा दिनांक 18.05.2017 से दिनांक 07.06.2017 को प्रथम बार भुगतान की गई राशि 62,42,404/– तक 20 दिन का 9 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज राशि 1,49,862/–, 2. शेष रही राशि 2,41,46,206/– पर दिनांक 08.06.2017 से 17.05.2018 तक 345 दिन की समयावधी का 9 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज राशि 20,54,081/–, 3. उक्त शेष रही राशि 2,41,46,206/– पर दिनांक 18.05.2018 से दिनांक

जिला कलक्टर
(ऑपरेटर)
शाहपुरा

26.06.2020 को जब आंशिक राशि 1,55,82,530 का भुगतान किया गया उस दिनांक तक अर्थात् एक वर्ष की समयावधी के पश्चात की अवधी पर 15 प्रतिशत वार्षिक से 770 दिन का ब्याज राशि 76,40,786/—, 4. कुल अवार्ड योग्य राशि 3,03,88,610 में से कुल भुगतान की गई राशि 2,18,24,934/— के समायोजन के पश्चात शेष राशि 85,63,676/— पर दिनांक 27.06.2020 से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने दिनांक 24.08. 2020 तक 58 दिन का 15 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज राशि 2,04,121/— कुल 1,00,48,850/— रूपये। उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति के समक्ष अवार्ड के संबन्ध मे आपत्ति किये जाने के पश्चात भी जो पूरक अवार्ड जारी किया वह विधिक प्रावधानो के अनुरूप जारी नहीं किया जबकि प्रार्थनापत्र में वर्णित विवरण के अनुसार 3,03,88,610/— का मूल मुआवजा राशि एवं उस पर धारा 80 (RFCTLARR Act) के अनुसार देय ब्याज की राशि का अवार्ड पारित किया जाना चाहिये था। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर मुआवजा राशि व ब्याज राशि जो अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत बनती है वह दिलाई जावे एवं उक्त गणना के पश्चात शेष राशि पर वास्तविकतौर भुगतान किये जाने तक की अवधी का ब्याज भी 15 प्रतिशत वार्षिक से दिलाये जाने का आदेश पारित फरमायें।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 11.09.2020 को दायर की जाकर दिनांक 26.07.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गए। उभयपक्षों की ओर से अधिवक्ता गण द्वारा अधिकार पत्र पेश किये गये।

4. विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ मुख्य रूप से यह कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना व अवार्ड में वर्णित प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण हेतु अवाप्त किया जाना स्वीकार है। अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही एक लार्ज स्केल पर की जाती है, जिसमें अनगिनत खातेदार होते हैं तथा प्रत्येक खातेदार को व्यक्तिगत तामील करायें जाने के कोई प्रावधान अधिनियम अधिनियम 1956 में नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—79 के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण के लिए अवाप्ताधीन भूमियों के संबंध में अधिनियम 1956 की धारा 3ए अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में 18.12.2012 को किया जाकर भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य जनसाधारण को सूचित करना व 21 दिनो की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित करना था । धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 के जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा अधिनियम 1956 की धारा उसी के अंतर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी की उपधारा 2 के अन्तर्गत निस्तारण कर दिया गया। परन्तु उक्त निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनियम 1956 की धारा 3जी के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में रकम का अवधारण करने से पूर्व धारा 3 जी (3)

जिला कलक्टर
(आर्बिट्रेटर)
शाहपुरा

के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपधारा (1) या (2) के अधीन रकम का अवधारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी अवाप्तशुदा भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावा आंमत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। अधिनियम 1956 की धारा 3जी (3) के अन्तर्गत आमजन की सूचना हेतु धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 का प्रकाशन स्थानीय दो समाचार पत्रों में दिनांक 10.12.2013 को किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में 3जी (4) के अन्तर्गत निधारित समयावधि में आपत्तियां / दावे आंमत्रित किये गये। अधिसूचना धारा 3डी के विरूद्ध समस्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर नियमानुसार सुनवाई कर निस्तारित कर दिया गया। उक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में प्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण करने के लिए उप पंजीयक से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये बाजार मूल्य / डी.एल.सी. दर मंगवाई गई, जिसको प्राप्त करने के पश्चात् ही अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को पारित किया गया है। इस प्रकार सभी हितधारको को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया। विधि व्यवस्था में अखबार द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एक सम्यक् तामील मानी जाती रही है। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 30) के नवीन नियमों के तहत प्रतिकर का निर्धारण किया जाने हेतु उक्त अधिनियम को 1 जनवरी 2014 से लागू कर दिया गया, परंतु उक्त अधिनियम को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर लागू नहीं किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 105 (3) में संशोधन कर उक्त अधिनियम 2013 के प्रथम, (धारा 26 से 30) द्वितीय, तृतीय शिड्यूल को अधिनियम 1956 पर लागू कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 के प्रावधानों की पालना करते हुए धारा 3जी के तहत पारित मूल अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को ही संशोधित करते हुए दिनांक 21.05.2019 को अन्तर मुआवजा राशि (पूरक अवार्ड) जारी की गयी, जो मूल अवार्ड का ही एक अभिन्न भाग है। अवार्ड दिनांक 05.11.2015 के बिंदुओं को यथावत रखते हुए अन्तर मुआवजा राशि का पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019 को पारित किया गया है, जो कि मूल अवार्ड नहीं है। अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार अधिनियम 1956 की धारा 3ए के प्रकाशन की तारीख से धारा 3जी के तहत पारित अवार्ड तक 12 प्रतिशत ब्याज राशि को सम्मिलित किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में जारी अन्तर मुआवजा राशि में भी सम्मिलित किया गया है, ऐसी दशा में यह कतई नहीं कहा जा सकता कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 26 से 30 के प्रावधानों की सही तौर पर पालना नहीं की गई हो। अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 के प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान अधिनियम 1956 पर लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा जो ब्याज राशि की मांग की जा रही है वह अनुचित, अवैध एवं गैर कानूनी होने के कारण देय नही है।

5. अप्रार्थी संख्या 02 ने आगे अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 18.12.2012 को किया गया तथा धारा 3जी के तहत दिनांक 05.11.2015 को अवार्ड में पारित राशि को सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा कराकर अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा ले लिया गय उक्त अवाप्तशुदा भूमि धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 का भारत के राजपत्र में घोषणा होने के बाद केंद्र सरकार में निहित हो गई। हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा

जिला कलक्टर
(ऑर्बीट्रेटर)
शाहपुरा

भूमि के संबंध में धारा 3जी के तहत मूल अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को ही पारित किया गया है। इस प्रकार अन्तर मुआवजा राशि दिनांक 21.05.2019 पर धारा 3जी के तहत पारित मूल अवार्ड दिनांक 05.11.2015 के बाद से ब्याज की गणना किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी को मुआवजे का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से ब्याज राशि प्राप्त करने का हकदार ही नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की एवज में दी जाने वाली राशि पब्लिक एक्सचेकर की राशि है एवं यह राशि करदाता द्वारा सरकार को दी जाती है। किसी भी स्थिति में इस राशि का दुरूपयोग करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी के हित में विधि सम्मत तरीके से ही अन्तर मुआवजा राशि दिनांक 21.05.2019 को जारी की गई है, जो कि किसी भी कारण से संशोधन किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित मूल अवार्ड दिनांक 05.11.2015 व पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

6. जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखत बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अंकित किया कि दिनांक 21.05.2019 को पूरक अवार्ड जारी कर पूर्व में जारी अवार्ड राशि के बजाय 2,18,24,934/– का अवार्ड जारी किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा धारा 26 से 30 एवं धारा 80 (RFCTLARR Act) के प्रावधानों की सही तौर पालना नहीं की गई। अवार्ड में ब्याज के रूप में कोई राशि धारा 80 (RFCTLARR Act) के अनुरूप दिलाये जाने बाबत पारित नहीं किये जाने से उक्त ब्याज की राशि का भुगतान भी नहीं हो पाया। इस अनुसार भी अवार्ड संशोधन योग्य है। प्रार्थनापत्र में वर्णित विवरण के अनुसार 3,03,88,610/– का मूल मुआवजा राशि एवं उस पर धारा 80 (RFCTLARR Act) के अनुसार देय ब्याज की राशि का अवार्ड पारित किया जाना चाहिये था। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर मुआवजा राशि व ब्याज राशि जो अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत बनती है वह दिलाई जावे एवं उक्त गणना के पश्चात शेष राशि पर वास्तविकतौर भुगतान किये जाने तक की अवधी का ब्याज भी 15 प्रतिशत वार्षिक से दिलाये जाने का आदेश पारित फरमायें। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से निम्न नजीरें सादर पेश की गईः– 1. Sundar VS unioun of India निर्णय दिनांक 19 सितम्बर 2001 उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने कहा है कि ब्याज के भुगतान के लिए मुआवजा राशि को अलग अलग घटकों में बांटने की बात विधान मंडल ने नहीं की है। इसलिए दिये गए मुआवजे का हकदार व्यक्ति क्षतिपूति (सोलेशियम) सहित कुल मुआवजा राशि पर ब्याज पाने का भी हकदार है। 2. Tamilnadu housing board VS Abdul salam sarkar (Dead) निर्णय दिनांक 13 जनवरी 2021 उक्त प्रकरण में भी माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा सोलेशियम राशि पर ब्याज का भुगतान करने के आदेश प्रदान किये है। 3. Union of India Vs Manjeet singh and others निर्णय दिनांक 25 नवम्बर 2014 में भी माननीय उच्च न्यायालय पंजाब–हरियाणा ने सोलेशियम की राशि पर ब्याज के भुगतान को उचित ठहराया है।

जिला कलक्टर
(ऑर्बीट्रेटर)
शाहपुरा

7. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 ने अपनी लिखत बहस में मुख्य रूप से जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अंकित किया कि मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उक्त धारा 3डी की अधिसूचना में वर्णित भूमि के हितबद्ध सभी व्यक्तियों से अधिनियम 1956 की धरा 3जी(3) के अन्तर्गत स्थानीय दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनार्थ दिनांक 10.12.2013 को प्रकाशन किया जाकर निर्धारित समयावधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्रार्थी द्वारा निर्धारित समय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। प्रत्येक खातेदार को व्यक्तिगत तामील करायें जाने के कोई प्रावधान अधिनियम अधिनियम 1956 में नहीं है। सभी हितधारको को सूचित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया। राजपत्र में प्रकाशित करने के उपरान्त उप पंजीयक से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 553.65/– रू. प्रति वर्गमीटर प्राप्त कर अधिनियम 1956 की धारा 3जी के तहत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 56,74,913/–रू. व अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि 5,67,491/– रू. अर्थात् कुल 62,42,404/–रू. की मुआवजा राशि निर्धारित कर दिनांक 05.11.2015 को अवार्ड पारित कर दिया गया। प्रार्थी की अवाप्त सम्पूर्ण भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण अवार्ड दिनांक 05.11.2015 में ही कर दिया गया। जिसका भुगतान प्रार्थी को कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रतिकर का निर्धारण किया जाने हेतु उक्त अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू कर दिया गया, परंतु उक्त अधिनियम 2013 को चौथी अनुसूची में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सहित अन्य वर्णित अधिनियमितियों पर लागू नहीं किया गया था। तदोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 113 (1) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 को पारित किया गया। उक्त आदेश 2015 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है:–

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 है।
(2) ये 1 सितम्बर 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों में पहली अनुसूची के अनुसरण में प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची के अनुसरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में तथा तीसरी अनुसूची के अनुसरण में अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं से संबंधित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होंगें।

उक्त आदेश 2015 से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2013 की चौथी अनुसूची में वर्णित अधिनियमों (यानि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956) के द्वारा भूमि अर्जन करने पर अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार प्रतिकर / मुआवजा का अवधारण किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची (धारा 26 से 30 तक) द्वितीय व तृतीय अनुसूची के प्रावधानो को वर्ष 2015 के अन्त में भूतलक्षी प्रभाव से (दिनांक 01.01.2015 से) चौथी अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों (कम संख्या 07 पर वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956) पर लागू कर दिया गया अर्थात ऐसे मूल अवार्ड जो दिनांक 01.01.2015 के बाद पारित किये गये है उनमे

जिला कलक्टर
(ऑर्बीट्रेटर)
शाहपुरा

मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार किया जाना है, जिसके कारण हस्तगत प्रकरण में मूल अवार्ड दिनांक 05.11.2015 में संशोधन किया जाकर अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों अनुसार अन्तर मुआवजा राशि का पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019 को पारित किया गया, जो कि मूल अवार्ड का ही अभिन्न भाग है, जिसे नवीन /पृथक अवार्ड नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची, द्वितीय व तृतीय अनुसूची के अलावा अधिनियम 2013 के कोई अन्य प्रावधान / धारा अधिनियम 1956 पर लागू नहीं किये गये। हस्तगत प्रकरण में द्वितीय व तृतीय अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी ने एक अवैधानिक गलत मुआवजा राशि की सारणी बनाई है, जो कि अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची (धारा 26 से 30) के विपरीत है। प्रार्थी ने अधिनियम 2013 की धारा 30(3) की गलत व्याख्या कर अवैधानिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से उक्त (अवाप्त भूमि की मूल राशि 56,74,912/—को 1.75 के फेक्टर से गुणा करने के बाद आने वाली राशि 99,31,096/— व सोलेशियम राशि 99,31,096/—) कुल राशि 1,98,62,192/— पर 12 प्रतिशत की दर से 1612 दिनों की अतिरिक्त राशि की गणना 1,05,26,418/— रूपये की है, जो कि सरासर गलत एवं अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के विरूद्ध है। प्रार्थी ने उक्त अतिरिक्त राशि की गणना नियम विरूद्ध जाकर फेक्टर 1.75 से निर्धारित होने वाली राशि व सोलेशियम राशि पर भी कर दी है, जबकि अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के अनुसार अवाप्त भूमि की मूल राशि पर ही प्रथम अधिसूचना का प्रकाशन होने से अवार्ड पारित करने तक 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि की गणना की जाती है। इस प्रकार प्रार्थी की केवल अवाप्त भूमि की मूल राशि 56,74,912/— रूपये विधिनुसार बनती है, जो कि मुआवजा निर्धारण दिनांक 21.05.2019 के पूरक अवार्ड की कॉलम संख्या 7 में वर्णित है, जिस पर प्रथम अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक 18.12.2012 से मूल अवार्ड पारित होने की दिनांक 05.11.2015 तक 12 प्रतिशत की दर से कुल 1052 दिन की अतिरिक्त राशि 19,62,742/— रूपये विधिनुसार बनती है, जो कि अन्तर मुआवजा राशि दिनांक 21.05.2019 के पूरक अवार्ड की कॉलम संख्या 12 में वर्णित है। अतः प्रार्थी द्वारा वर्णित अवैधानिक अतिरिक्त राशि धारा 30 (3) के विरूद्ध जाकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अधिनियम 2013 की धारा 80 के अनुसार मुआवजा राशि की गणना की है, जो कि अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची (धारा 26 से 30) के अन्तर्गत नहीं आती है और ना ही अधिनियम 1956 पर लागू होती है। अधिनियम 2013 की धारा 80 के प्रावधान केवल उन प्रकरणों में लागू होते है जिनमें भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ की जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण करने के उपरान्त समाप्त हुई हो तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिये जाने के बाद भी संबंधित प्राधिकरण / विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा नहीं करवाई गयी हो। जबकि हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अधिनियम 2013 के प्रावधानो से नहीं की जाकर अधिनियम 1956 के प्रावधानों से की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार केवल मुआवजा राशि निर्धारित करने उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी गयी, जिसका भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका है। अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार केवल मुआवजा राशि का निर्धारण होता है तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा कराने व हितधारियो को भुगतान करने की समस्त कार्यवाही अधिनियम 1956 के प्रावधानो के

जिला कलक्टर
(ऑर्बीट्रेटर)
शाहपुरा

अनुसार ही होती है। इसके बाद की आगामी कार्यवाही भी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही होती है। इसलिये उपरोक्तानुसार धारा 80 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू ही नहीं होते हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि भी स्वतः ही गलत व अवैधानिक होना साबित है, जिसका प्रार्थी को कोई लाभ प्राप्त नही होता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि हितधारको को भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा करा दी गई, जिसका भुगतान भी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रार्थी किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि स्वीकार है। सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी के हित में विधि सम्मत तरीके से ही अन्तर मुआवजा राशि दिनांक 21.05.2019 को जारी की गई है, जो कि किसी भी कारण से संशोधन किये जाने योग्य नही है। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि को यथावत रखे जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

8. उभयपक्ष की लिखित बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक निर्णयों का गहनता व सूक्ष्मता से अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया। हस्तगत मामले में मुआवजा राशि मय सोलेशियम राशि पर ब्याज चाहा गया है। सोलेशियम का अर्थ है " A thing given to somone as a compensation or consolation. Demages that may be awarded for pain and suffering related to delict." ब्याज इसलिए ही दिया जाता है कि वह मुद्रा स्फीति एवं राशि के उपयोग से वंचित होने के बदले नुकसान की भरपाई कर सके। सोलेशियम की राशि पर भी ब्याज से इन्कार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन होगा। समता के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी को धन के भुगतान में मुआवजा राशि एवं सोलेशियम राशि पर ब्याज की हानि हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों Sundar VS unioun of India निर्णय दिनांक 19 सितम्बर 2001, Tamilnadu housing board VS Abdul salam sarkar (Dead) निर्णय दिनांक 13 जनवरी 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं Union of India Vs Manjeet singh and others निर्णय दिनांक 25 नवम्बर 2014 में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब–हरियाणा ने भी स्पष्ट किया है कि सोलेशियम की राशि भी मुआवजा राशि का ही एक अभिन्न भाग होकर सोलेशियम की राशि पर ब्याज का भुगतान करना विधि सम्मत है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय पंजाब–हरियाणा के आदेशों/नजीरों के अनुसार मुआवजा राशि मय सोलेशियम राशि पर प्रार्थी को ब्याज का भुगतान करना न्याय संगत होगा। उक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी मुआवजा राशि मय सोलेशियम की राशि पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

9. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (जी)(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) भीलवाड़ा के अवार्ड क्रमांक छःलेन/32/2015 दिनांक

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
शाहपुरा

05.11.2015 एवं पूरक अवार्ड दिनांक 21.05.2019 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को Rfetlarr Act 2013 (The right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act, 2013) के तहत प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि मय सोलेशियम राशि पर उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ब्याज की गणना कर भुगतान करने के संबंध में पुनः अवार्ड पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

10. निर्णय दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
(शाहपुरा)
शाहपुरा